



Neutral Citation No.- 2026:AHC:3862

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-26780 वर्ष 2025

मुंताज़िर उर्फ मुंटी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अशफाक अहमद अंसारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: धीरज कुमार पांडेय, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अशफाक अहमद अंसारी और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री धीरज कुमार पांडे के साथ-साथ राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-56, भ०द०वि० की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक के बारे में कहा जाता है कि उसने 27.02.2024 को सुबह लगभग 11:00 बजे सूचनाकर्ता के बेटे पर हमला किया और चाकू से वार किया, जो अंततः उसके लिए घातक साबित हुआ।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में लगभग पांच घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।



6. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि यद्यपि आवेदक की भूमिका को मृतक पर चाकू से हमला करने की भूमिका दिखाई गई है, लेकिन आरोप झूठे हैं, इस तरह, आवेदक ज़मानत का हकदार है।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को सौंपा गया आपराधिक इतिहास हलफ़नामे में समझाया गया है। आवेदक 28.02.2024 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

8. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता और राज्य विधि अधिकारी के अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक प्राथमिक आरोपी है क्योंकि उसका नाम प्राथमिकी में है। शव परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करती है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में है, मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

10. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 5, 2026

सिद्धांत



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!